न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
06 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	19.01.2021	25.03.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री संदीप कुमार गूगलिया पुत्र श्री गौतम प्रकाश एफ.बी.ओ. मैसर्स जैनम प्रोविजन स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 6 आंवा रोड धान मण्डी के सामने दूनी जिला टोंक राज.

2–श्री हरीश मनवानी पुत्र श्री जसवंत कुमार प्रोपरायटर मैसर्स श्री दातार एन्टरप्राईजेज मराठा कॉलोनी छावनी जयपुर रोड टोंक जिला टोंक निवासी चुंगी नाके के सामने छावनी जिला टोंक जिला टोंक राज.

3–सुश्री संध्या चौधरी पुत्री श्री अरूण कुमार डायरेक्टर मैसर्स जूसिका एग्रो फूड्स प्रा० लि० 1621 निमेडा फागी जिला जयपुर राज. निवासी मकान नं. 138 डिफैन्स कॉलोनी हिसार हरियाणा।

4–श्री तेजा राम जाट पुत्र श्री लादू राम जाट डायरेक्टर मैसर्स जूसिका एग्रो फूड्स प्रा० लि० 1621 निमेडा फागी जिला जयपुर राज. निवासी – 135 रजनी विहार अजमेर रोड हीरापुरा जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–:

दिनांक 25.03.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.08.2020 को समय 11.42 पी.एम पर बास्ते निरीक्षण मैसर्स जैनम प्रोविजन स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री संदीप कुमार गूगलिया पुत्र श्री गौतम प्रकाश एफ.बी.ओ. मैसर्स जैनम प्रोविजन स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 6 आंवा रोड धान मण्डी के सामने दूनी जिला टोंक राज.खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना [illegible] किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:33 IST
Reason: SelfAttested

1185

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) जिसके बैच नं.जेएम 01 व पैकिंग दिनांक 26.05.2020 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विकता श्री संदीप कुमार गूगलिया को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता संदीप कुमार गूगलिया एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 200–200 मिली के 26 कागज के कार्टून प्रत्येक कार्टून मे 27 पैकेट फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) रखे हुये मे से एक कार्टून का चयन कर,को खोलकर मे से 20 पैकेट प्रत्येक 200–200 मिली के 20 पैकेट कुल 4 लीटर ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकता. श्री संदीप कुमार गूगलिया को रू0 130/–अक्षरे एक सौ तीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) 20 पैकेट मे से 200 मिली के पॉच–पॉच नग (प्रत्येक भाग मे एक लीटर) को एक साथ रखकर के नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2554 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2554 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. संदीप कुमार गूगलिया के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री संदीप कुमार गूगलिया ने मौके पर फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) बतौर वारन्टी मैसर्स श्री दातार एन्टरप्राईजेज मराठा कॉलोनी छावनी जयपुर रोड टोंक जिला टोंक का बिल/इन्वॉइस नं. 392 दिनांक 29.05.2020 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स श्री दातार एन्टरप्राईजेज मराठा कॉलोनी छावनी जयपुर रोड टोंक जिला टोंक से पत्राचार करने पर बतौर वारन्टी मैसर्स [illegible] लि0 1621 निमेडा फागी जिला जयपुर राज. का बिल/इन्वॉइस नं. 2020–2[illegible] दिनांक 17.06.2020 की छायाप्रति प्रेषित की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक-राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2810 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल0एस0/1085/एक्ट/2020/1152 दिनांक 14.08.2020 अनुसार संदीप कुमार गूगलिया से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड** (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded)का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड** (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वंय तथा 3 व 4 की ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड** (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो ड्रिन्क जूसिका ब्राण्ड** (Fruit Drink Mango Drink Jusica Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री संदीप कुमार गूगलिया पुत्र श्री गौतम प्रकाश एफ.बी.ओ. मैसर्स जैनम प्रोविजन स्टोर आंवा रोड दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 6 आंवा रोड धान मण्डी के सामने दूनी जिला टोंक राज.पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू०) अप्रार्थी [illegible] नी पुत्र श्री जसवंत कुमार प्रोपरायटर मैसर्स श्री दातार एन्टरप्राईजेज मराठा [illegible] छावनी जयपुर रोड टोंक जिला टोंक निवासी चुंगी नाके के सामने [illegible] टोंक राज. पर शास्ति 20,000

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

(अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी सुश्री संध्या चौधरी पुत्री श्री अरूण कुमार डायरेक्टर मैसर्स जूसिका एग्रो फूड्स प्रा0 लि0 1621 निमेडा फागी जिला जयपुर राज. निवासी मकान नं. 138 डिफेन्स कॉलोनी हिसार हरियाणा पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री तेजा राम जाट पुत्र श्री लादू राम जाट डायरेक्टर मैसर्स जूसिका एग्रो फूड्स प्रा0 लि0 1621 निमेडा फागी जिला जयपुर राज. निवासी – 135 रजनी विहार अजमेर रोड हीरापुरा जयपुर पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.03.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:33 IST
Reason: SelfAttested

1188

Scanned by CamScanner